’’उ0प्र0 ब्रेड एवं ब्रेकफास्ट एवं होमस्टे नीति 2025’’

मानक संचालन प्रक्रियाएँ

विषयसूची (Table of Contents)

क्रमांक	विषय सूची	पृष्ठ सं0
1	होमस्टे इकाइयों के लिए पात्रता मानदंड	3
2	ग्रामीण होमस्टे इकाइयों के लिए पात्रता मानदंड	3
3	बेड एंड ब्रेकफास्ट के लिए पात्रता मानदंड	3-4
4	होमस्टे / ग्रामीण होमस्टे इकाइयों के पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज़	4
5	बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयों के पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज़	4
6	होमस्टे / बेड एंड ब्रेकफास्ट / ग्रामीण होमस्टे के लिए पंजीकरण प्रक्रिया	5-6
7	वर्गीकरण मानदंड	6
8	पंजीकरण प्रमाणपत्र का निर्गमन	6-7
9	पंजीकरण शुल्क	7
10	नवीनीकरण	7
11	नियतकालिक निरीक्षण	8
12	पंजीकरण का रद्दीकरण और अर्थ दंड	8
13	कार्यान्वयन एजेंसी	9
14	होमस्टे / बेड एंड ब्रेकफास्ट / ग्रामीण होमस्टे स्वामी के कर्तव्य	9-10
15	प्रारूप (Formats)	11-18
16	परिशिष्ट (Annexures)	19-21

1. होमस्टे इकाइयों के लिए पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria for Homestay Units)

1.1 होमस्टे प्रतिष्ठान में **कम से कम 1 (एक)** और **अधिकतम 6 (छह)** किराए पर देने योग्य कमरे होने चाहिए।

1.2 होमस्टे प्रतिष्ठान को **स्थानीय सक्षम प्राधिकारी** के साथ **आवासीय परिसर/इकाई** के रूप में विधिक रूप से पंजीकृत होना चाहिए।

1.3 होमस्टे प्रतिष्ठान का मालिक परिवार सहित उसी भवन में **स्वयं निवासरत** होने चाहिए।

1.4 इस नीति के अंतर्गत **एक ही आवेदनकर्ता को केवल एक पंजीकरण प्रमाणपत्र** जारी किया जाएगा।

1.5 यदि एक ही परिसर को **विभिन्न मालिकों में विभाजित** किया गया है, तो प्रत्येक मालिक अपनी संपत्ति के हिस्से के लिए अलग-अलग पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है, बशर्ते वह हिस्सा **विधिक रूप से उसके नाम पर हो।** ऐसे मामलों में प्रत्येक पंजीकरण को **स्वतंत्र इकाई** माना जाएगा और सभी इकाइयों के स्वामियों को वैधानिक नियमों का **व्यक्तिगत रूप से अनुपालन** करना होगा।

1.6 केवल **स्वामित्वधारी व्यक्ति/व्यक्तियों** (संयुक्त स्वामित्व के मामले में) को ही पंजीकरण की अनुमति होगी और सभी लाभ **केवल स्वामी को ही** प्रदान किए जाएंगे।

1.7 यदि संपत्ति संयुक्त स्वामित्व वाली है, तो कोई भी मालिक पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन **अन्य मालिकों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NoC)** लेना अनिवार्य होगा।

1.8 भी पंजीकृत इकाइयों में **कम से कम 3 कार्यशील CCTV कैमरे** होने चाहिए जो अतिथियों के अवस्थान के सम्पूर्ण क्षेत्र को कवर करें और जिनमें **कम से कम 90 दिन की रिकॉर्डिंग क्षमता** हो। गोपनीयता दिशानिर्देशों का पालन करते हुए CCTVs की स्थापना की जानी चाहिए।

1.9 अग्नि सुरक्षा से संबंधित सभी उपकरण और प्रोटोकॉल **अनिवार्य रूप से स्थापित किए जाएं**, जैसा कि अग्निशमन विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया है।

1.10 एक बार में किसी भी अतिथि के लिए **अधिकतम आरक्षण अवधि 7 दिन** होगी, जिसे आवश्यकता अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है।

2. ग्रामीण होमस्टे इकाइयों के लिए पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria for Rural Homestay Units)

2.1 इस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन केवल **शहरी सीमा क्षेत्र से बाहर स्थित इकाइयों** द्वारा किया जायेगा (नगर निगम सीमा के बाहर)।

2.2 अन्य सभी पात्रता मानदंड **होमस्टे इकाइयों की भाँति ही** होंगे।

3. बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयों के लिए पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria for Bed & Breakfast Units)

3.1 बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान में **कम से कम 1 और अधिकतम 6 किराए पर देने योग्य कमरे** होने चाहिए। **12 बिस्तरों वाली डॉरमेट्री भी इस श्रेणी के अन्तर्गत पात्र इकाई मानी जायेगी।**

3.2 प्रतिष्ठान को स्थानीय सक्षम प्राधिकरण के साथ **आवासीय परिसर/इकाई के रूप में विधिक रूप से पंजीकृत** होना चाहिए।

3.3 बेड एंड ब्रेकफास्ट मालिक को **स्वयं भवन में निवास करने की आवश्यकता नहीं है**, लेकिन आवश्यक सेवाएं प्रदान करने हेतु परिसर में एक केयरटेकर का निवासरत होना अनिवार्य है।

3.4 प्रत्येक कमरे में **नाश्ते की सेवा हेतु निर्धारित मेन्यू विकल्प उपलब्ध होना आवश्यक है।**

3.5 पंजीकरण केवल **मालिक के नाम पर ही** होगा और सभी लाभ केवल मालिक को ही प्रदान किए जाएंगे। मालिक को अपने प्रतिष्ठान के संचालन के लिए केयरटेकर नियुक्त करने का अधिकार होगा**।**

3.6 यदि संपत्ति संयुक्त स्वामित्व में है, तो कोई भी मालिक पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन **अन्य मालिकों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NoC)** प्राप्त करना अनिवार्य है।

3.7 एक बार में किसी भी अतिथि के लिए **अधिकतम आरक्षण अवधि 7 दिन** होगी, जिसे आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकता है।

4. होमस्टे / ग्रामीण होमस्टे इकाइयों के पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज़

4.1 **मालिक / मालिकों (संयुक्त स्वामित्व के मामले में)** की पहचान का प्रमाण - जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि।

4.2 होमस्टे / ग्रामीण होमस्टे इकाई के **स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज़।**

4.3 **मालिक के नाम पर प्रतिष्ठान का प्रमाणिक पता।**

4.4 **हलफनामा**, जिसमें उपयोग किए जाने वाले कमरों की संख्या तथा संपत्ति का नक्शा दर्शाया गया हो, जिसमें स्पष्ट रूप से होमस्टे / ग्रामीण होमस्टे के अंतर्गत उपयोग किए जाने वाले कमरे चिन्हित किए गए हों।

4.5 **आवेदक का चरित्र प्रमाण पत्र**, पुलिस विभाग द्वारा जारी (प्रारूप - III के अनुसार)।

4.6 **स्थानीय प्रशासन / विकास प्राधिकरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र** (प्रारूप - V के अनुसार)।

5. बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयों के पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज़

5.1 **मालिक / मालिकों (संयुक्त स्वामित्व के मामले में)** की पहचान का प्रमाण - जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि।

5.2 **बेड एंड ब्रेकफास्ट** इकाई के **स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज़।**

5.3 **मालिक के नाम पर प्रतिष्ठान का पता / प्रमाण।**

5.4 **हलफनामा**, जिसमें उपयोग किए जाने वाले कमरों की संख्या तथा संपत्ति का नक्शा दर्शाया गया हो, जिसमें स्पष्ट रूप से **बेड एंड ब्रेकफास्ट** के अंतर्गत उपयोग किए जाने वाले कमरे चिन्हित किए गए हों।

5.5 **आवेदक का चरित्र प्रमाण पत्र**, पुलिस विभाग द्वारा जारी (प्रारूप - III के अनुसार)।

5.6 **स्थानीय प्रशासन / विकास प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र** (प्रारूप - V के अनुसार)।

5.7 **यदि बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाई के संचालन हेतु केयरटेकर नियुक्त किया गया है**, तो उस केयरटेकर की पहचान प्रमाणपत्र।

6. होमस्टे / बेड एंड ब्रेकफास्ट / ग्रामीण होमस्टे के लिए पंजीकरण प्रक्रिया

6.1 सभी होमस्टे, बेड एंड ब्रेकफास्ट (B&B) और ग्रामीण होमस्टे प्रतिष्ठानों को **उत्तर प्रदेश पर्यटन पोर्टल (https://up-tourismportal.in/)** पर निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा (यदि लागू हो)।

6.2 ईकाई को "गोल्ड" या "सिल्वर" श्रेणी में पंजीकरण हेतु आवेदन फॉर्म में दी गयी सुविधाओं की चेकलिस्ट के अनुसार आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। उक्त के अनुरूप ही स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

6.3 आवेदन प्राप्त होने के बाद **उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग** द्वारा निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

(i) आवेदन की **जांच** की जाएगी।

(ii) प्रतिष्ठान का **भौतिक निरीक्षण** किया जायेगा। इस हेतु जिलाधिकारी द्वारा पर्यटन विभाग के अधिकारीयों के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट स्तर के किसी भी अधिकारी को नामित किया जा सकता है।

(iii) **होमस्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठानों के पंजीकरण/ वर्गीकरण हेतु जिला स्तर पर एक समिति गठित** की जाएगी।

वर्गीकरण समिति का स्वरूप इस प्रकार होगा: -

क्रमांक	सदस्य	भूमिका
1	जिला मजिस्ट्रेट / प्रतिनिधि	अध्यक्ष
2	पुलिस अधीक्षक / प्रतिनिधि	सदस्य
3	संबंधित क्षेत्र के टैक्स अधीक्षक (नगर निकाय / अथवा ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत / ग्राम पंचायत प्रतिनिधि)	सदस्य
4	जिला अग्निशमन अधिकारी / प्रतिनिधि	सदस्य
5	संबंधित जिले में तैनात पर्यटन विभाग का वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य-सचिव

(iv) समिति के अध्यक्ष अपने विवेक से **3 अतिरिक्त सदस्यों को** समिति में आवश्यकतानुसार नामित कर सकते हैं।

(v) किसी सदस्य की अनुपस्थिति में, **जिला मजिस्ट्रेट किसी भी अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी को समिति में नामित कर सकते हैं।**

(vi) **ग्रामीण क्षेत्रों** में नगर निकायों के स्थान पर **ज़िला पंचायत/ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि** समिति में नामित किये जा सकते हैं।

6.4 **समय सीमा और प्रक्रिया:**

(i) **स्थानीय समिति** को आवेदन प्राप्त होने की **तिथि से 30 दिनों के भीतर** निरीक्षण और वर्गीकरण प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। यदि आवेदन अधूरा है, दस्तावेज़ अपूर्ण हैं, या कोई स्पष्टीकरण आवश्यक है, तो **जिला स्तरीय पर्यटन विभाग के अधिकारी पोर्टल पर क्वेरी जनरेट कर सकता है**, जिसका उत्तर **15 दिनों के भीतर** आवेदक को देना होगा। यदि उत्तर नहीं दिया जाता है तो **आवेदन अमान्य** माना जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया (स्पष्टीकरण, निरीक्षण, सत्यापन और वर्गीकरण) **30 दिनों की अवधि में पूर्ण** की जानी होगी।

(ii) प्रक्रिया की पूरी जानकारी **UP पर्यटन पोर्टल पर अपडेट** की जाएगी।

6.5 **पंजीकरण शुल्क निर्धारण:**

(i) **पंजीकरण और वर्गीकरण शुल्क** उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा **निर्धारित** किया जाएगा।

7. वर्गीकरण मानदंड (Classification Criteria)

7.1 होमस्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट (B&B) प्रतिष्ठानों को **प्रस्तावित सुविधाओं और सेवाओं** के आधार पर **दो श्रेणियों** में वर्गीकृत किया जाएगा:

(i) गोल्ड श्रेणी (Gold Category)

(ii) सिल्वर श्रेणी (Silver Category)

7.2 **ग्रामीण होमस्टे और डॉरमेट्री** इकाइयों में कोई वर्गीकरण श्रेणी **लागू नहीं होगी।**

8. पंजीकरण प्रमाणपत्र का निर्गमन (Issue of Registration Certificate)

8.1 **उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग (DoT, GoUP)** संबंधित प्रतिष्ठान को **गोल्ड** या **सिल्वर श्रेणी** के अनुसार पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।

8.2 **जिला कार्यालय** प्रतिष्ठान का **भौतिक निरीक्षण** करेगा और स्पष्ट अनुशंसा सहित **निरीक्षण रिपोर्ट** मुख्यालय को भेजेगा।

8.3 संबंधित क्षेत्रीय/जिला कार्यालय को आवेदन प्राप्त होने की तिथि से **30 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। क्षेत्रीय कार्यालय की अनुशंसा के अनुरूप इकाई को पंजीकृत करने का निर्णय पर्यटन निदेशालय द्वारा लिया जायेगा।**

8.4 **क्षेत्रीय कार्यालय** (जिला पर्यटन अधिकारी या उनके प्रतिनिधि) द्वारा:

(i) प्रतिष्ठान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की **जांच की जाएगी,**

(ii) **सेवाओं और सुविधाओं** के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा (प्रारूप-II),

(iii) **पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र** (प्रारूप-III),की जाँच

(iv) **स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्गत NOC** (प्रारूप-V)की जाँच

(v) **फायर सेफ्टी उपकरण** और **CCTV** की उपलब्धता का निरीक्षण किया जाएगा।

8.5 सभी मानकों, सुविधाओं, सेवाओं एवं आवश्यक दस्तावेजों का मूल्यांकन **नीति में निर्दिष्ट प्रारूपों और अनुबंधों के अनुसार** किया जाएगा।

8.6 **पंजीकरण प्रमाणपत्र उत्तर प्रदेश पर्यटन पोर्टल (https://up-tourismportal.in/)** के माध्यम से जारी किया जाएगा।

8.7 प्रमाणपत्र एक **विशिष्ट पहचान संख्या (Unique Identification Number) से जारी** होगा और इसकी **वैधता अवधि तीन (3) वर्ष** होगी, जिसे प्रत्येक तीन वर्ष पर निर्धारित शुल्क जमा कराकर बढवाया जा सकेगा।

9. पंजीकरण शुल्क (Registration Fee)

9.1 होमस्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट (B&B) प्रतिष्ठानों के पंजीकरण/वर्गीकरण हेतु अप्रतिदेय (वापस न किए जाने वाला) आवेदन शुल्क निम्नानुसार होगा :-

क्रमांक	**श्रेणी**	**पंजीकरण शुल्क (रु. में)**
1	सिल्वर	₹2000/-
2	गोल्ड	₹3000/-

पंजीकरण शुल्क **ऑनलाइन माध्यम** से ही पंजीकरण पोर्टल पर जमा करया जायेगा।

9.2 ग्रामीण होमस्टे और डॉरमेट्री इकाइयों के लिए पंजीकरण शुल्क :-

क्रमांक	**प्रतिष्ठान का प्रकार**	**पंजीकरण शुल्क (रु. में)**
1	ग्रामीण होमस्टे एवं डॉरमेट्री	₹100/-

10. नवीनीकरण (Renewal)

10.1 होमस्टे / ग्रामीण होमस्टे / **बेड एंड ब्रेकफास्ट** पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण हेतु **ऑनलाइन आवेदन** उत्तर प्रदेश पर्यटन पोर्टल (https://up-tourismportal.in/) पर किया जाएगा।

10.2 यह आवेदन **पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने की तिथि से कम से कम 3 महीने पहले** किया जाना चाहिए।

10.3 यदि आवेदन देरी से किया जाता है, तो उसकी स्वीकृति **जिला स्तरीय समिति के विवेक** पर निर्भर करेगी, बशर्ते पर्याप्त और उचित कारण प्रस्तुत किया गया हो।

10.4 समय पर किए गए और सभी दृष्टियों से पूर्ण आवेदन को **पंजीकरण समाप्ति की तिथि से पहले ही नवीनीकृत कर दिया जाएगा।**

11. नियतकालिक निरीक्षण (Periodic Inspection)

11.1 उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग (DoT) पॉलिसी के अंतर्गत पंजीकृत प्रतिष्ठानों के निरीक्षण हेतु निरीक्षण एजेंसी / अधिकारी को नियुक्त कर सकता है।

11.2 निरीक्षण के दौरान यदि कोई कमी पाई जाती है, तो निरीक्षण अधिकारी द्वारा संबंधित विवरण मुख्यालय (HQ) और प्रतिष्ठान के मालिक को सूचित किया जाएगा। यह सूचित किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अंदर यह सूचना UP पर्यटन पोर्टल (https://up-tourismportal.in/) पर भी अपलोड की जाएगी।

11.3 यदि निरीक्षण में गंभीर कमियाँ पाई जाती हैं, तो उन्हें दूर करने हेतु प्रतिष्ठान के मालिक को अधिकतम 60 दिन का समय दिया जाएगा।

11.4 इस अवधि के दौरान, जब तक कमियाँ दूर नहीं की जातीं, पंजीकरण निलंबित रहेगा और प्रतिष्ठान में अतिथियों को ठहराया नहीं जा सकेगा।

11.5 यदि 60 दिनों की अधिकतम अवधि में कमियाँ दूर नहीं की जातीं और कोई उचित कारण नहीं प्रस्तुत किया जाता, तो जिला स्तरीय समिति को पंजीकरण रद्द करने का अधिकार होगा।

11.6 यदि किसी प्रतिष्ठान के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो स्थानीय समिति जांच और समाधान कर सकेगी।

12. पंजीकरण का रद्दीकरण और अर्थ दंड (Cancellation of Registration and Penalties)

12.1 यदि कोई प्रतिष्ठान **पंजीकरण की शर्तों का उल्लंघन करता है**, जैसे:

(i) आवश्यक मानकों का पालन नहीं करता है,

(ii) प्रतिष्ठान में अग्नि सुरक्षा उपकरणों की अनुपलब्धता है,

(iii) CCTV कैमरों की अनुपस्थिति,

(iv) अस्वच्छता,

(v) अनैतिक व्यवहार,

(vi) अवैध गतिविधियाँ,

उक्त स्थिति में **पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया जा सकता है**।

12.2 **उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग (DoT, GoUP)** को जिला प्रशासन से प्राप्त **नकारात्मक रिपोर्ट** के आधार पर **एकतरफा पंजीकरण रद्द** करने का अधिकार होगा।

12.3 **एक ही संपत्ति पर एक से अधिक पंजीकरण पाए जाने** पर, सभी पंजीकरण **रद्द कर दिए जाएंगे।**

13. कार्यान्वयन एजेंसी

13.1 उत्तर प्रदेश के ब्रेड एवं ब्रेकफास्ट, ग्रामीण-होमस्टे, होमस्टे प्रतिष्ठानों के वर्गीकरण हेतु नीति का कार्यान्वयन पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा।

13.2 पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश, शयन एवं नाश्ता/ग्रामीण-होमस्टे/होमस्टे प्रतिष्ठानों के नए प्रारूपों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने, प्रसंस्करण और पंजीकरण की प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु कोई भी अतिरिक्त दिशानिर्देश बनाने/जारी करने/संशोधित करने/संवर्धित करने के लिए अधिकृत है। (सरकार को सूचित करते हुए) ये परिवर्तन/संशोधन प्रतिनिधि/प्रतिष्ठान के केयरटेकर पर बाध्यकारी होगें।

13.3 पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, निरीक्षण एजेंसी/स्थानीय वर्गीकरण समिति को भी संशोधित करने हेतु अधिकृत होगा।

14. होमस्टे / बेड एंड ब्रेकफास्ट / ग्रामीण होमस्टे स्वामी के कर्तव्य

14.1 पंजीकृत होमस्टे / **बेड एंड ब्रेकफास्ट** / ग्रामीण होमस्टे को निर्धारित मानकों की सदैव पूर्ति करनी होगी। ऐसे प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कभी भी बिना पूर्व सूचना के किया जा सकता है।

14.2 उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग, किसी भी स्वामी / प्रबंधक / आगंतुक द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

14.3 होमस्टे / **बेड एंड ब्रेकफास्ट** / ग्रामीण होमस्टे के संचालन में अग्निसुरक्षा, स्वच्छता आदि का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रतिष्ठान के स्वामी का होगा।

14.4 सभी पंजीकृत प्रतिष्ठानों को कमरे, नाश्ता, दोपहर/रात्रि भोजन (यदि उपलब्ध हो) के शुल्क स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने होंगे। **बेड एंड ब्रेकफास्ट** इकाइयों में नाश्ता अनिवार्य होगा और प्रत्येक कमरे में मेन्यू व शुल्क सूची प्रदर्शित करनी होगी।

14.5 प्रतिष्ठान की सुविधाओं में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना 30 दिनों के अंदर विभाग को देना आवश्यक होगा।

14.6 प्रतिष्ठान के स्वामित्व में परिवर्तन की स्थिति में 30 दिन के भीतर सूचना देना अनिवार्य होगा। वर्णित स्थिति में नया स्वामी पुनः पंजीकरण कराएगा, तथा पूर्ववर्ती पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।

14.7 किसी भी प्रतिष्ठान की श्रेणी या वर्गीकरण में बदलाव, पर्यटन विभाग के विवेकाधिकार पर निर्भर करेगा। इसके लिए विभाग शुल्क भी निर्धारित कर सकता है।

14.8 यदि विभाग के संज्ञान में इकाई द्वारा इस नीति के अंतर्गत निर्दिष्ट नियमों का विचलन आता है, तो पंजीकरण और वर्गीकरण निरस्त किया जा सकता है।

14.9 सभी पंजीकृत इकाइयों को पर्यटकों की जानकारी सुरक्षित रखने हेतु रजिस्टर बनाना होगा, जिसमें अतिथि का पता व पहचान संबंधी जानकारी दर्ज होनी चाहिए। यह जानकारी "परिशिष्ट-II" के निर्धारित प्रारूप में दर्ज की जानी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित प्राधिकारियों को प्रस्तुत करनी होगी।

14.10 आगंतुकों की सुरक्षा व गोपनीयता सुनिश्चित करना प्रतिष्ठान स्वामी की जिम्मेदारी होगी। उनके पहचान दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ सुरक्षित रखी जाएं और जब मांगा जाए तब संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

14.11 सभी प्रतिष्ठानों को स्थानीय पुलिस द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा जैसे कि होटल, धर्मशाला या आवासीय परिसरों के लिए जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन भी उनके द्वारा किया जायेगा।

14.12 सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और पर्यटक डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रतिष्ठान स्वामी का दायित्व होगा। डेटा का दुरुपयोग न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।

14.13 सभी पंजीकृत प्रतिष्ठानों को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

प्रारूप (Formats)

प्रारूप-I: होमस्टे / ग्रामीण होमस्टे / बेड एंड ब्रेकफास्ट श्रेणी में वर्गीकरण हेतु आवेदन पत्र

मूलभूत जानकारी:		
1	आवास इकाई का नाम	
2	इकाई के स्वामी का नाम	
3	स्वामी का मोबाइल नंबर	
4	स्वामी का पैन नंबर	
5	स्वामी का आधार नंबर	
6	वैकल्पिक मोबाइल नंबर	
प्रतिष्ठान का विवरण:		
7	क्षेत्र का प्रकार (ग्रामीण/शहरी)	
8	इकाई की श्रेणी (होमस्टे / ग्रामीण होमस्टे / बेड एंड ब्रेकफास्ट)	
9	घर में कुल कमरों की संख्या	
10	किराये पर दिए जाने योग्य कमरों की संख्या	
11	पर्यटकों के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या	
प्रतिष्ठान का पता:		
12	जनपद	
13	तहसील	
14	ग्राम / नगर / शहर	
15	मकान नंबर / गली /मोहल्ला	
16	निकटतम लैंडमार्क	
आवश्यक दस्तावेज़:		
17	स्वामी का पैन कार्ड नम्बर	
18	स्वामी का आधार कार्ड नम्बर	
19	स्वामित्व दस्तावेज़ / लीज़ अनुबंध	
20	पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र	
21	स्थानीय प्रशासन / विकास प्राधिकरण का अनापत्ति प्रमाणपत्र	
22	शपथपत्र (नोटरीकृत)	
23	कोई अन्य दस्तावेज़	
इकाई की फ़ोटोग्राफ़्स:		
24	फ़ोटो श्रेणी (घर/रसोई/कमरा/शौचालय/अन्य)	
25	फ़ोटो अपलोड करें (JPG प्रारूप, अधिकतम 500 KB)	

प्रारूप-II: होमस्टे / बेड एंड ब्रेकफास्ट / ग्रामीण होमस्टे प्रतिष्ठानों के लिए सुविधाओं की जाँच सूची

क्र.	सामान्य आवशयकता	सिल्वर	गोल्ड	चयन (हाँ/ना)
1	समर्पित पार्किंग स्थान	वांछनीय	अनिवार्य	
2	न्यूनतम 1 व अधिकतम 6 कमरे (12 बेड)	अनिवार्य	अनिवार्य	
3	कमरे का न्यूनतम क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	60	120	
4	प्रत्येक कमरे के साथ संलग्न निजी बाथरूम	वांछनीय	अनिवार्य	
5	बाथरूम का न्यूनतम आकार (वर्ग फीट में)	-	40	
6	24 घंटे गर्म व ठंडे पानी की सुविधा	वांछनीय/	अनिवार्य	
7	कमरे में एयर कंडीशनिंग	वांछनीय/	अनिवार्य	
8	15 एम्पियर पावर सॉकेट	वांछनीय	अनिवार्य	
9	फ्रिज की उपलब्धता	वांछनीय	अनिवार्य	
10	यूपीआई/डिजिटल भुगतान स्वीकार्यता	अनिवार्य	अनिवार्य	
11	आगंतुक रिकॉर्ड हेतु रजिस्टर	अनिवार्य	अनिवार्य	
12	कम से कम एक टीवी	वांछनीय	अनिवार्य	
13	आधुनिक शैली का वॉशरूम (गेसर सहित)	वांछनीय	अनिवार्य	
14	संचालित रसोई	वांछनीय	अनिवार्य	
15	3 सीसीटीवी कैमरे (30 दिन की स्टोरेज सहित)	अनिवार्य	अनिवार्य	
16	कमरे में मूलभूत फर्निशिंग	अनिवार्य	अनिवार्य	
17	अग्निशमन यंत्र (4 किलोग्राम) / अग्नि सुरक्षा प्रणाली	अनिवार्य	अनिवार्य	

टिप्पणी:

- 'M' = अनिवार्य
- 'D' = वांछनीय
- मूल्यांकन समिति स्थानीय परिस्थियों के आधार पर छूट प्रदान कर सकती है l

प्रारूप-III अभ्यर्थी के लिए पुलिस विभाग से चरित्र प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि **श्री/सुश्री/श्रीमती ……………………………………**,

पिता/पति/अभिभावक …………………………………… के पुत्र/पुत्री/पत्नी/संरक्षण में,

निवासी:

…………………………………………………………………………………………………….,

…………………………………………………………………………………………………….,

के संबंध में संबंधित थाना, स्थानीय खुफिया इकाई एवं जिला अपराध अभिलेख ब्यूरो, जनपद **……………………** द्वारा जाँच की गई, पुलिस अभिलेखों में उक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं पाई गई।

यह प्रमाण पत्र **…………… वर्ष/माह** तक के लिए मान्य है।

दिनांक: …………………

स्थान: …………………

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(हस्ताक्षर एवं मुहर)

पदनाम: ……………………………

पुलिस विभाग, जनपद: ……………………

प्रारूप-IV

होमस्टे / बेड एंड ब्रेकफास्ट / ग्रामीण होमस्टे इकाइयों के पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

दिनांक: ....

सेवा में,

महानिदेशक,

पर्यटन विभाग,

पर्यटन भवन, गोमती नगर,

लखनऊ

विषय: पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण हेतु आवेदन।

महोदय,

मैं, निम्नलिखित विवरण के अनुसार, **होमस्टे / बेड एंड ब्रेकफास्ट / ग्रामीण होमस्टे इकाई** के पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण हेतु आवेदन करता/करती हूँ:

1. **होमस्टे / बेड एंड ब्रेकफास्ट / ग्रामीण होमस्टे इकाई का नाम एवं पूर्ण पता:**

   ....

   ....

2. **पंजीकरण की तिथि (पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें):**

   ....

चूंकि पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि **........** को समाप्त हो रही है, अतः मैं अनुरोध करता/करती हूँ कि उक्त प्रमाण पत्र को **तीन वर्ष** की अवधि हेतु, **ग्रामीण होमस्टे, होमस्टे एवं बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति** के अंतर्गत निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अधीन नवीनीकृत किया जाए।
(स्वीकृत वर्तमान आवास और सुविधाओं की जाँच सूची, उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार, संलग्न है।)

मैं इसके साथ **चालान संख्या ...... दिनांक ......**,
राशि ₹... (शब्दों में: ....)
जो कि **महानिदेशक - पर्यटन, उत्तर प्रदेश सरकार** के पक्ष में देय है, संलग्न कर रहा/रही हूँ।

हस्ताक्षर
(होमस्टे / **बेड एंड ब्रेकफास्ट** इकाई के स्वामी)

प्रारूप V स्थानीय प्रशासन / विकास प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ....
पुत्र/पत्नी/पुत्री ....
निवासी ....

बेड एंड ब्रेकफास्ट / होमस्टे / ग्रामीण होमस्टे प्रतिष्ठान (नाम) के पंजीकरण हेतु आवेदन कर रहे हैं। यह सत्यापित किया जाता है कि यह संपत्ति उनके नाम पर वर्तमान में पंजीकृत है। अभिलेखों के अनुसार, उक्त संपत्ति में 9 से अधिक कमरे नहीं हैं, जिन्हें आवासीय प्रयोजन हेतु उपयोग में लाया जा सकता है।

हस्ताक्षर (पदनाम)

स्थान:

दिनांक:

प्रारूप VI

होमस्टे / बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठानों के पंजीकरण प्रमाणपत्र की श्रेणी परिवर्तन हेतु आवेदन प्रारूप

दिनांक:..............

सेवा में,

महानिदेशक, पर्यटन विभाग

पर्यटन भवन, गोमती नगर, लखनऊ

महोदय,

मैं होमस्टे / बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान के पंजीकरण प्रमाणपत्र की श्रेणी में परिवर्तन हेतु आवेदन करता/करती हूँ। विवरण निम्नलिखित है:

1. होमस्टे / बी एंड बी प्रतिष्ठान का नाम एवं पता:
2. पंजीकरण की तिथि (पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें):

मैं अनुरोध करता/करती हूँ कि उक्त प्रतिष्ठान को नीति के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अनुसार श्रेणी परिवर्तन हेतु विचार किया जाए। (स्वीकृत सुविधाओं की जांच सूची संलग्न है।)

मैं चालान संख्या ......, दिनांक ...... की प्रति ₹.............. (राशि) के साथ संलग्न कर रहा/रही हूँ, जो कि पर्यटन महानिदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में देय है।

हस्ताक्षर

(होमस्टे / बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान स्वामी)

प्रारूप VII स्वप्रमाणन - होमस्टे

(₹100 के सामान्य स्टाम्प पेपर पर, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग के नाम से, सार्वजनिक नोटरी के समक्ष शपथ पत्र)

मैं/हम ...., श्री .... के पुत्र/पुत्री, निवासी .... यह घोषित करता/करती हूँ कि मैंने/हमने .... (होमस्टे इकाई का नाम) को उत्तर प्रदेश सरकार की "होमस्टे नीति 2025" के अंतर्गत पंजीकृत कराया है। मैं निम्नलिखित घोषणा करता/करती हूँ:

- इकाई में कुल .... कमरे हैं, जिनमें से .... कमरे किराए हेतु और .... कमरे व्यक्तिगत उपयोग हेतु हैं।
- मैं/हम परिवार सहित वर्ष .... से यहाँ निवास कर रहा/रही हूँ।
- मैं/हम इस संपत्ति को वाणिज्यिक इकाई के रूप में संचालित करूंगा/नहीं करूंगा।

मैं/हम यह घोषणा करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र में दी गई सभी जानकारियों मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है। यदि कोई भी सूचना झूठी पाई जाती है या नीति के नियमों का उल्लंघन होता है तो मैं/हम पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(नाम, पता, ईमेल आईडी और संपर्क नंबर सहित)

स्थान:

तिथि:

प्रारूप VIII - स्वप्रमाणन - बेड एंड ब्रेकफास्ट

(₹100 के सामान्य स्टाम्प पेपर पर, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग के नाम से, सार्वजनिक नोटरी के समक्ष शपथ पत्र)

मैं/हम ...., श्री .... के पुत्र/पुत्री, निवासी .... यह घोषित करता/करती हूँ कि मैंने/हमने .... (बी एंड बी इकाई का नाम) को उत्तर प्रदेश सरकार की "बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति 2025" के अंतर्गत पंजीकृत कराया है। मैं निम्नलिखित घोषणा करता/करती हूँ:

- इकाई में कुल .... कमरे हैं, जिनमें से .... कमरे किराए हेतु और .... कमरे मेरे तथा केयरटेकर के निजी उपयोग हेतु हैं।
- मैं/हम इस संपत्ति को वाणिज्यिक इकाई के रूप में संचालित करूंगा/नहीं करूंगा।

मैं/हम यह घोषणा करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र में दी गई सभी जानकारी मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(नाम, पता, ईमेल आईडी और संपर्क नंबर सहित)

स्थान:

तिथि:

परिशिष्ट - I

शपथ पत्र

सेवा में,

महानिदेशक, पर्यटन विभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार

मैं निम्नलिखित घोषणाएँ करता/करती हूँ:

1. मेरी इकाई आवासीय है, जिसमें मैं स्वयं अथवा मेरे द्वारा नियुक्त केयरटेकर निवास करता है।
2. मैं संपत्ति का स्वामी हूँ और इसे होमस्टे/ग्रामीण होमस्टे/बी एंड बी के रूप में संचालित करने हेतु अधिकृत हूँ।
3. सभी कर्मचारियों की पुलिस सत्यापन एवं पृष्ठभूमि जांच की जाती है और उसका रिकॉर्ड सुरक्षित है।
4. मेरी इकाई पर किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद नहीं है।
5. मैं कम से कम 1 और 6 से अधिक (अधिकतम 12 बिस्तर) कमरे किराये पर नहीं दूंगा/दूंगी।
6. मेरी इकाई संबंधित श्रेणी के लिए आवश्यक मानकों को पूरा करती है।
7. मैं पर्यटकों का रजिस्टर रखूंगा/रखूंगी और उसे न्यूनतम 6 माह तक सुरक्षित रखूंगा/रखूंगी।
8. किसी विदेशी पर्यटक के ठहरने पर मैं स्थानीय पुलिस/प्राधिकरण को उसकी सूचना दूंगा/दूंगी।
9. स्वामित्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर विभाग को सूचित करूंगा/करुँगी ।
10. परिसर या आसपास पर्याप्त पार्किंग की सुविधा है।
11. मैंने संपत्ति का मानचित्र संलग्न किया है, जिसमें कमरे दर्शाए गए हैं।
12. "गोल्ड/सिल्वर" श्रेणी आवांटन के विभाग के निर्णय को स्वीकार करूंगा/ करुँगी ।
13. अन्य सभी शर्तों का पालन करूंगा/ करुँगी ।
14. मैं नीति में वर्णित सभी सरकारी नियमों का पालन करूंगा/ करुँगी ।

मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैंने उपर्युक्त सभी बिंदुओं को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा मैं उनका पूर्ण रूप से पालन करूंगा/करूंगी।

मैंने नीति में उल्लिखित सभी नियमों एवं शर्तों को पढ़ लिया है और उन्हें समझ लिया है। इस नीति के अंतर्गत मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज मेरी जानकारी में सत्य एवं प्रामाणिक हैं। मैंने शपथ-पत्र के दोनों पृष्ठों एवं संलग्न सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं।

मैं उपर्युक्त घोषणा का पालन करने के लिए सहमत हूँ। यदि मैं ऐसा करने में असफल होता/होती हूँ, तो **उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग** को मेरा पंजीकरण रद्द करने का अधिकार होगा। यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है, तो मैं वर्तमान नियमों/कानूनों के अंतर्गत **दोषी ठहराया जा सकता/सकती हूँ या मेरे विरुद्ध अभियोजन चलाया जा सकता है**। यदि मेरे आवेदन पत्र में प्रस्तुत विवरणों में कोई परिवर्तन होता है, तो मैं परिवर्तन की जानकारी **30 दिवसों के भीतर संबंधित पर्यटन अधिकारी को प्रस्तुत करूंगा/करूंगी।**

मैंने उपर्युक्त घोषणा की एक प्रति **व्यक्तिगत संदर्भ हेतु सुरक्षित रख ली है।**

हस्ताक्षर: (स्वामी / किरायेदार / अधिकृत व्यक्ति)

स्थान:

तिथि:

परिशिष्ट-II

आगंतुक विवरण प्रपत्र

होमस्टे / बीएंडबी / ग्रामीण होमस्टे स्वामी का नाम :

होमस्टे / बीएंडबी / ग्रामीण होमस्टे का पंजीकरण आईडी : ....

प्रतिष्ठान का पता :

पंजीकरण संख्या :

क्रमांक -	
अतिथि का नाम (सरनेम पहले)-	
आयु -	
राष्ट्रीयता -	
पूरा पता -	
फोन नंबर -	
Email -	
पहचान पत्र:- **(सरकार द्वारा जारी मान्य पहचान पत्र की फोटोकॉपी जिसमें पता स्पष्ट रूप से अंकित हो, संलग्न की जाए।)**	
पासपोर्ट संख्या:- **(विदेशी पर्यटक के मामले में, पासपोर्ट की फोटोकॉपी फॉर्म-C के साथ संलग्न की जाए।)***	
अतिथियों की संख्या -	
चेक-इन- तिथि व समय	
चेक-आउट- तिथि व समय	
आगमन स्थान -	
प्रस्थान स्थान -	
उद्देश्य -	
हस्ताक्षर -	

***** *गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 18 मार्च 2016 की अधिसूचना एवं समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार।***

परिशिष्ट - III

स्वीकृति पत्र (UNDERTAKING)

विनियामक शर्तों की स्वीकृति हेतु सहमति

(कृपया इस परिशिष्ट के अनुसार प्रतिष्ठान के स्वामी द्वारा हस्ताक्षरित निर्धारित शपथ-पत्र की प्रति संलग्न करें।)

प्रेषक:

सेवा में,

महानिदेशक,

पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार,

पर्यटन भवन, गोमती नगर, लखनऊ।

विषय: होमस्टे / ग्रामीण होमस्टे / बेड एण्ड ब्रेकफास्ट नीति के अंतर्गत पंजीकरण हेतु शर्तों की स्वीकृति।

मैं निम्नलिखित कथनों की घोषणा एवं पुष्टि करता/करती हूँ:

1. **मैंने होमस्टे / ग्रामीण होमस्टे / बेड एण्ड ब्रेकफास्ट नीति के अंतर्गत पंजीकरण से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में उल्लिखित सभी नियमों एवं शर्तों को पढ़ लिया है और समझ लिया है, तथा मैं उनका पूर्णतः पालन करने के लिए सहमत हूँ। आवेदन पत्र में दी गई संपूर्ण जानकारी एवं दस्तावेज मेरी जानकारी में सत्य एवं प्रामाणिक हैं।**
2. **उक्त उल्लिखित संपत्ति पर कोई विवाद/विधिक वाद-विवाद नहीं है।**
3. **यदि भविष्य में किसी भी समय मुझे किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो मेरा पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है।**

(होमस्टे / बीएंडबी / ग्रामीण होमस्टे इकाई के स्वामी के हस्ताक्षर एवं नाम)

स्थान: ____________________

तिथि: ____________________